

राजस्थान सरकार
राजस्व ग्रुप-6 विभाग

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

प.क्र:- 58/राज-6/97/6

जयपुर, दिनांक:- 5-3-05

परिपत्र

विषय:- आम रास्ते निकालने एवं राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के
संबंध में।

क.नं.:

उपर्युक्त विषयान्तर्गत "प्रशासन आपके द्वार" अभियान के दौरान यदि
ऐसे समस्त जालेदार कृषक जिन्की जालेदारी की भूमि के अंत में से होकर रास्ता
गुजरता है या नवीन रास्ता प्रस्तावित है तो संबंधित जालेदारों की सहमति से
रास्ते में जाने वाली भूमि का समर्पण राजस्थान कारख्तारी अधिनियम 1955 के
प्रावधानानुसार किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया जावे
तथा उक्तानुसार रास्ता निकालने की कार्यवाही की जाने वाली कार्यवाही के
बीच में यदि कोई राजकीय भूमि पड़ती है तो संबंधित तहसीलदार अपनी सहमति
के साथ प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के माध्यम से स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर को
भेजेगा। जिला कलेक्टर की स्वीकृति उपरान्त राजस्व रिकार्ड में तदनुसार रास्ता
अंकन किया जायेगा के संबंध में विभागीय परिपत्र दिनांक 30.11.2004 जारी
किया गया था। उक्त परिपत्र की समयावधि "प्रशासन आपके द्वार" अभियान के
पश्चात भी निरन्तर मानी जावे।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर को सूचना के अन्तर्गत कार्यवाही
हेतु प्रेषित है।

उप शासन सचिव